

गौण खनजि नयिम, 1996 में संशोधन

चर्चा में क्यों?

15 जुलाई, 2022 को मुख्यमंत्री शिवराज सहि चौहान की अध्यक्षता में मंत्रपरिषद की बैठक में मंत्रपरिषद द्वारा मध्य प्रदेश गौण खनजि नयिम, 1996 में संशोधन के संबंध में अनुमोदन प्रदान किया गया।

प्रमुख बदि

- वर्तमान में नयिमों में ई-नविदा से उत्खनन पट्टा प्रदान करने की प्रक्रिया निर्धारित है। अब ई-नविदा से उत्खननपट्टा एवं समेकित अनुज्ञप्ति पृथक्-पृथक् आवंटित करने का नयिमों में संशोधन किया गया है।
- नज्जी भूमि में वर्तमान नयिम में अनुसूची-पाँच के उत्खनन पट्टा भूमि-स्वामी अथवा उसके सहमतधारक को आवंटित करने का प्रावधान है। वर्तमान प्रावधान में उत्खनन पट्टा ग्रांट करने से पूर्व भूमि-स्वामी को पूर्वेक्षण अनुज्ञप्ति का कार्य करना भी अनिवार्य किया गया है।
- वर्तमान निर्धारित प्रक्रिया समेकित अनुज्ञप्ति ही है, इसलिये नयिमों में नज्जी भूमि पर उत्खनन पट्टा प्रदान करने के शब्द के स्थान पर समेकित अनुज्ञप्ति का शब्द समाविष्ट किया जाना प्रावधानित किया गया है।
- वर्तमान नयिमों में शासकीय वभिग की अनुमति से सरकारी तालाब एवं अन्य संरचनाएँ तथा ग्राम पंचायत की अनुमति से उनके द्वारा निर्मित/संभारित तालाब एवं अन्य संरचनाओं से निकलने वाली कीचड़, गाद पर स्वयं के कार्यों के उपयोग के लिये रॉयल्टी एवं परिवहन अनुज्ञा की आवश्यकता नहीं है। अब निकलने वाली कीचड़, गाद के साथ मट्टी पर भी रॉयल्टी एवं परिवहन अनुज्ञा की आवश्यकता नहीं होगी।
- वर्तमान नयिमों में उत्खनन पट्टा के लिये वर्ष के प्रथम माह की 20 तारीख तक देय अग्रमि मृत कर राशिएकमुशत जमा करने का प्रावधान है। अब यह राशि अग्रमि दो कशितों में पट्टाधारियों से जमा कराए जाने के प्रावधान किये गए हैं।
- अनुसूची-एक, अनुसूची-दो एवं अनुसूची-पाँच में वनिरिदषिट खनजिों के शोधों (अनवार्य भाटक, स्वामित्व, भूतल भाटक, जलिा खनजि प्रतषिटान की राशि व अन्य देय राशि) के वलिंब भुगतान पर 12 प्रतशित प्रतविरष बयाज का भुगतान किये जा सकेगा।
- उपरोक्त के अतरिकित अन्य तकनीकी सुधार मध्य प्रदेश गौण खनजि नयिम, 1996 में किये गए हैं, जसिसे प्रदेश में खदानों के आवंटन में गतलाने, प्रदेश में नविश को बढ़ावा देने तथा खनजि राजस्व में वृद्धि के साथ रोजगार सृजन के अवसर उत्पन्न हो सकेंगे।